

**अनुदान संख्या 51 - लोक उद्यम विभाग**  
**GRANT No. 51-DEPARTMENT OF PUBLIC ENTERPRISES**

	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving-
			(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
<b>राजस्व:</b>	<b>Revenue:</b>		
स्वीकृत-	Voted-	32,65,00	24,10,52
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year		-8,54,48
<i>टीका और टिप्पणियां</i>	<i>Notes and comments</i>		8,21,61
1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई:-	1. In the revenue section of the grant, savings occurred under the following major heads:-		

(लाख रुपयों में)  
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		
मुख्य शीर्ष "2552"	Major Head "2552"		
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas		
मू.	O.	300.00	
पु.	R.	-300.00	
मुख्य शीर्ष "2852"	Major Head "2852"		
उद्योग	Industries		
मू.	O.	2679.00	
पु.	R.	-476.32	
		2202.68	2172.86
			-29.82

(I) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए परियोजनाओं/स्कीमों में लाभ के लिए प्रावधान" के अंतर्गत पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ के लिए स्कीम में उपयोग के लिए संबंधित कार्यात्मक शीर्षों को आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प देने वालों की तुलनात्मक रूप से कम संख्या होने की वजह से शेष राशि का अभ्यर्पण किए जाने के कारण एक मामले में 300.00 लाख रु. का प्रावधान पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of Rs.300.00 lakhs remained wholly unutilised in one case under Major Head "2552"- "Other Expenditure-Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim"- due to re-appropriation of part funds to concerned functional heads for utilisation in the scheme for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount owing to comparatively less number of Public Sector Enterprises and Voluntary Retirement optees in the North Eastern Region.

(II) मुख्य शीर्ष "2852" - "सामान्य - अन्य व्यय - परामर्श, पुनः प्रशिक्षण/पुनः तैनाती, नए केन्द्रों की स्थापना, नोडीय अभिकरणों में परिवर्धन आदि" के अन्तर्गत 503.91 लाख रु. की बचत (2640.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नोडीय अभिकरणों के स्कीम के लिए युक्तियुक्त कर्मचारियों का पता न लगाए जाने की वजह से वर्ष के दौरान स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना में तेजी न आने तथा साथ ही वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में 33% व्यय की अधिकतम सीमा लागू किए जाने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "2852"- "General-Other Expenditure - Counseling, retraining/ redeployment, setting up of new Centres/addition of nodal agencies etc." - saving of Rs.503.91 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2640.00 lakhs) was due to Voluntary Retirement Scheme not picking up during the year owing to nodal agencies not finding rationalised employees for imparting the scheme and also on account of 33% ceiling of expenditure imposed in the last quarter of the financial year.

---